हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई0एस0ओ0 9001–2008 प्रमाणित संस्थान)

प्रेषक:–	सेवा में,
सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी–127021	प्राचार्य, S.K.S. College of Edu DEl-Ed Kirmach KKR.

क्रमांक 51108 /डी. एड./सम्बद्धता पंजीकृत दिनांक 6/1/17

विषय:– डी0 एड0 कोर्स शैक्षिक सत्र 2016–2017 के लिए अस्थायी सम्बद्धता को जारी रखने बारे ।

महोदय/महोदया

उपरोक्त विषय पर आपके आवेदन पत्र क्रमांक S.K.S/Cof.2016/72 दिनांक 22/10/16 के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था की अस्थायी सम्बद्धता जारी रखने हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र की जांच के उपरान्त निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई :–

1– राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा दी गई मान्यता की प्रमाणित प्रति सलंग्न नहीं है।

2– कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र/महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा जारी सम्बद्धता की प्रमाणित प्रति सलंग्न नहीं है।

3– आप द्वारा सम्बद्धता हेतु भेजा गया आवेदन–पत्र संस्था के प्रधानाचार्य से प्रमाणित नहीं है। आवेदन–पत्र की प्रति इस पत्र के साथ भेजी जा रही है, जिसे पूर्ण रूप से भर कर तथा प्रमाणित करके भेजें।

4– आप द्वारा डी0एड0 की परीक्षाओं हेतु बोर्ड में आवेदन–पत्र भेजे गये हैं परन्तु सम्बद्धता हेतु आवेदन नहीं किया गया। यदि आप द्वारा सम्बद्धता हेतु आवेदन किया गया है तो प्रमाण भेजा जाए अथवा संलग्न आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क एवं विलम्ब शुल्क सहित पूर्व में आवेदन न करने का कारण दर्शाते हुए तुरंत भेजा जाए।

5– आपकी संस्था/महाविद्यालय का सम्बद्धता जारी रखने हेतु आवेदन–पत्र/शुल्क निर्धारित तिथि________के पश्चात् इस कार्यालय में दिनांक ________को प्राप्त हुआ, जिसके लिए 5000/–रूपये विलम्ब शुल्क देय बनता है।

6– सम्बद्धता शुल्क 50000/–रूपये, विलम्ब शुल्क 5000/–रूपये अर्थात कुल 55000/–रूपये आप से देय बनते हैं। जबकि आप ने केवल ________रूपये ही इस कार्यालय में भेजे हैं। अतः शेष________रूपये का बैंक ड्राफ्ट सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम बनवाकर तुरन्त भेजें।

✓ 7– आप द्वारा सम्बद्धता हेतु भेजा गया आवेदन–पत्र के साथ सोसाईटी के पंजीकरण एक्ट 2012 की प्रति संलग्न नहीं की है।

✓ 8– आप द्वारा सम्बद्धता आवेदन पत्र के साथ स्टाफ स्टेटमैन्ट की सत्यापित प्रति संलग्न नहीं की है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त क्रमांक 7, 8 अनुसार वर्णित वांछित प्रलेख इस पत्र का हवाला देते हुए पत्र जारी होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर–अन्दर पंजीकृत डाक द्वारा इस कार्यालय में अवश्य भिजवायें अन्यथा आपकी संस्था को सम्बद्धता प्रदान करने बारे विचार नहीं किया जायेगा। जिसके लिए आप स्वंय जिम्मेवार होंगे। इसके बाद इस संदर्भ में आपसे कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(signature)

अधीक्षक (सम्बद्धता)

कृते: सचिव